


3



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण कमांक A-1024/2014 पुनरीक्षण

दिनांक 13-11-14  
श्री वी.गोपीलाल शर्मा को  
कमांक 51/2014  
38  
13-11-14

1. सीताराम पुत्र प्यारे खटीक
2. वारेलाल पुत्र बंशी खटीक फोट वारिस-- श्रीमती रामश्री पत्नी स्व० श्री वारेलाल निवासी गण-ग्राम मढ़ा, खितरपाल तहसील विजयपुर जिला श्योपुर, म०प्र०

---- आवेदकगण

बनाम

म०प्र० शासन -- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 8/7/2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 01/2013-14/अ-19(1) व उनवान सीताराम बनाम म०प्र० शासन

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निगरानी-4024-दो/2014

जिला- श्योपुर

सीताराम व अन्य विरुद्ध मध्यदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-श्योपुर प्रकरण क्रमांक 01/2013-14/अ-19(1) में पारित आदेश दिनांक 08-07-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 17/5/19</p>